

ब्याज टुडे

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने ग्लोबल आउटलुक, 2025 रिपोर्ट जारी की

यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में मौजूदा जानकारी प्रदान करती है। साथ ही, इसमें खाद्य संकटों का सामना करने तथा भुखमरी के मूल कारणों से निपटने के लिए WFP द्वारा समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वैश्विक भुखमरी संकट: 74 देशों में लगभग 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1.9 मिलियन लोग भुखमरी की कगार पर हैं।
- प्रमुख कारक: सूडान, गाजा आदि 16 भुखमरी वाले क्षेत्रों में से 14 में सशस्त्र हिंसा एक प्रमुख कारण है। अन्य कारकों में खाद्य मुद्रास्फीति, चरम मौसमी घटनाएं आदि शामिल हैं।
- 65% गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोग संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों में रहते हैं।
- वित्तीय आवश्यकता: विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को 123 मिलियन सबसे सुभेद्य लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
- इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदु:
 - विश्व भर के कुपोषित लोगों में से एक-चौथाई लोग भारत में रहते हैं।
 - लगभग 21.25% जनसंख्या प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करती है।
 - 6-59 महीने की आयु के 38% बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं।

भुखमरी से निपटने के लिए WFP का दृष्टिकोण

- दीर्घकालिक समाधान के लिए स्थानीय पौष्टिक खाद्य विकल्पों, फूड फोर्टिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना चाहिए।
- बेहतर आजीविका, जलवायु संरक्षण आदि के माध्यम से सुभेद्य समुदायों को आघातों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए।
- अन्य: इसमें स्थानीय स्तर पर संस्थागत क्षमता को बढ़ाना, खाद्य असुरक्षा को प्रभावित करने वाली लैंगिक असमानताओं का समाधान करना आदि शामिल है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में

- इसका मुख्यालय रोम में स्थित है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है। यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाती है और सहायता के जरिए समुदायों को आत्मनिर्भर बनने एवं आघातों से निपटने में सक्षम बनाती है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा की गई थी।
- इसकी उपस्थिति 120 से अधिक देशों में है।
- वित्त-पोषण: इसमें सरकारों, कॉर्पोरेट्स और निजी दानकर्ताओं से स्वैच्छिक दान शामिल हैं।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है।

केंद्र सरकार ने पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए SASCI योजना के तहत 3,296 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

“राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI)” योजना के तहत 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनका उद्देश्य आइकॉनिक पर्यटन केंद्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित करना है।

SASCI योजना के बारे में

- लक्ष्य: पर्यटन विकास के लिए राज्यों को 50 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। यह ऋण देश में आइकॉनिक पर्यटन केंद्रों का बड़े पैमाने पर विकास करने, ब्रांडिंग करने और वैश्विक स्तर पर उनकी मार्केटिंग करने के लिए दिया जाता है।
- योजना का व्यापक उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा संधारणीय पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है।

भारत का पर्यटन क्षेत्र

- वर्तमान स्थिति: विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी “ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स (TTDI), 2024 रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत 39वें स्थान पर है।

भारत में 2023 में 9.52 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे। यह 2022 की तुलना में 47.9% की वृद्धि है।

पर्यटन क्षेत्र का महत्त्व:

GDP में योगदान: वित्त वर्ष 2022-23 में पर्यटन क्षेत्रक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 5% का योगदान दिया है।

रोजगार के अवसर: 2022-23 में पर्यटन क्षेत्रक में 76.17 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए थे।

विदेशी मुद्रा आय: वित्त वर्ष 2023 में भारत को पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

- भविष्य का अनुमान: 2028 तक, भारत में पर्यटन और आतिथ्य-सत्कार उद्योग से 59 बिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है।

भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (HRIDAY): यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है।

तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (PRASHAD): इसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता, योजनाबद्ध और संधारणीय तरीके से एकीकृत करना है, ताकि संपूर्ण धार्मिक पर्यटन का अनुभव प्रदान किया जा सके।

देखो अपना देश पहल (2020): इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना है।

देशभर की अदालतों में 5,600 से अधिक पद रिक्त हैं

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में न्यायपालिका में वर्तमान में 5,600 से अधिक रिक्तियां हैं।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के 2 पद, हाई कोर्ट्स (HC) में न्यायाधीशों के 364 पद और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के 5245 पद रिक्त हैं।

रिक्तियों के लिए जिम्मेदार कारक

- समय-समय पर पदों का रिक्त होना: इसकी मुख्य वजहें हैं- सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, निधन, न्यायाधीशों की पदोन्नति, न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि होना आदि।
- अधिक समय लेने वाली कॉलेजियम प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रक्रिया से होती है। इस प्रक्रिया के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक है। साथ ही, अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से परामर्श एवं मंजूरी की आवश्यकता भी पड़ती है।
 - हाई कोर्ट्स में नियमित न्यायाधीशों तथा अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 व 224 के तहत की जाती है।
- अन्य कारक:
 - निचली अदालतों में न्यायिक पदों पर नियुक्ति की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लगता है।
 - न्यायाधीशों को कम वेतन मिलता है और उन पर कार्य बोझ भी अधिक होता है। इस वजह से प्रतिभाशाली वकील न्यायाधीश बनने के इच्छुक नहीं होते हैं।

अदालतों में पद रिक्त रहने के प्रभाव

- न्याय में देरी होना: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में क्रमशः 19,500 तथा 27 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
 - लंबित मामलों के अधिक होने के अन्य कारण हैं- न्यायिक अवसरचना में कमी, सुनवाई का बार-बार टलना, मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा तय नहीं होना आदि।
- देश की आबादी की तुलना में न्यायाधीशों का अनुपात कम होना: इस वजह से न्यायिक अधिकारियों पर कार्य का बहुत अधिक बोझ रहता है। ऐसे में उनसे गलतियां होने की आशंका बनी रहती है।
 - 2002 में, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में एक निर्देश पारित किया गया था। इसके अनुसार 2007 तक, ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए।
 - हालांकि, 2024 में भी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 25 न्यायाधीश का अनुपात भी प्राप्त नहीं किया जा सका है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) फ्रेमवर्क पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इससे न्यायिक नियुक्तियों में संतुलन सुनिश्चित होगा। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही, दोनों सुनिश्चित हो सकती है।
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का गठन: सिविल सेवकों की भर्ती के समान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
 - इससे न्यायपालिका में अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में एकरूपता भी सुनिश्चित होगी।
 - संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है।
- अन्य उपाय:
 - न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए;
 - न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए, आदि।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने परमाणु तकनीकों की भूमिका को रेखांकित किया

IAEA ने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु तकनीकें वैश्विक चुनौतियों के लिए नए समाधान प्रस्तुत कर रही हैं।

अलग-अलग क्षेत्रों में परमाणु तकनीकों के प्रमुख उपयोग

- चिकित्सा में: बीमारी की जांच और इलाज में उपयोग किया जाता है।
 - एक्स-रे जांच मशीन से ब्रेस्ट कैंसर का समय पर पता लगाकर इलाज शुरू किया जा सकता है।
 - रेडियोएक्टिव आयोडीन (I-131) का उपयोग थायराइड कैंसर और थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है।
- ऊर्जा क्षेत्र में: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार विश्व की लगभग 10% बिजली का स्रोत परमाणु ऊर्जा है।
- कृषि क्षेत्र में:
 - फॉलआउट रेडियोन्यूक्लाइड (FRN) तकनीक मृदा में रेडियोन्यूक्लाइड की मात्रा का विश्लेषण करके अपरदन पैटर्न को मापती है।
 - रेडियोइसोटोप एनालिसिस (RIA) तकनीक: इसका उपयोग पशुओं में हार्मोन के स्तर का पता लगाने में किया जाता है। इससे कृत्रिम गर्भाधान के लिए सटीक समय निर्धारित करना संभव हो जाता है, आदि।
- पर्यावरण संरक्षण में:
 - आइसोटोप हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल चक्र में जल की गतिविधियों की निगरानी के लिए स्थायी (स्टेबल) और रेडियोएक्टिव, दोनों प्रकार के आइसोटोप का उपयोग करता है।
 - आइसोटोपिक तकनीकें चरम मौसम की घटनाओं की निगरानी में मदद कर रही हैं।
- उद्योग क्षेत्र में: रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स का व्यापक रूप से महंगे औद्योगिक उपकरणों में लुटियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे इन उपकरणों की संचालन अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- अन्य क्षेत्रों में उपयोग
 - खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में: खाद्य विकिरण (Food irradiation) तकनीक के तहत खाद्य पदार्थों को गामा किरणों के प्रभाव में लाया जाता है। इससे खाद्य जनित बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
 - रेडियोआइसोटोप थर्मल जनरेटर (RTG) का उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में किया जाता है।

परमाणु तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलें

- वैश्विक पहलें:
 - एटम्स4फूड (Atoms4Food) पहल: यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य हानि को कम करने हेतु नवीन परमाणु तकनीकों का उपयोग करने के लिए देशों को सहायता प्रदान करना है।
 - अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिपेक्टर: इसका निर्माण फ्रांस में किया जा रहा है। यह संलयन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट का परीक्षण करने वाली सबसे बड़ी टोकामक मशीन होगी।
- भारत की पहलें
 - प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण यूनिट्स की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए हैं।
 - भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) गामा विकिरण के जरिये उत्परिवर्तन प्रेरित करके उच्च उपज देने वाली बीज की किस्में विकसित करता है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' (CPP) का समर्थन किया

भारत और ADB ने 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत बागवानी के लिए CPP को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क और संस्थागत प्रणालियां विकसित की जाएंगी।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) के बारे में

- उत्पत्ति: इस कार्यक्रम की शुरुआत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत की गई है।
 - MIDH बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें फलों, सब्जियों, जड़ व कंद फसलों आदि को शामिल किया गया है।
- उद्देश्य: फसल की पैदावार में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को वायरस-मुक्त व उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करना।
- प्रमुख घटक:
 - 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र (CPCs) स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र उन्नत नैदानिक चिकित्सा विज्ञान और टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं से सुसज्जित होंगे।
 - बीज अधिनियम, 1966 के तहत विनियामक फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित एक प्रमाणन प्रणाली बनाई गई है।
 - अवसरचना विकास के रूप में बड़े पैमाने पर नर्सरी विकास के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसियां: इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
 - इसे ADB की 50% सहायता से 2024-30 तक लागू किया जाएगा।

बागवानी क्षेत्र के लिए अन्य प्रमुख पहलें

- भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करके बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम (चमन/ CHAMAN): इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र और उत्पादन के आकलन हेतु वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना तथा मजबूत करना है।
- किसान रेल सर्विस: इसका संचालन फलों और सब्जियों सहित जल्दी खराब होने वाली जिनसों के परिवहन के लिए किया जा रहा है।
- पूँजी निवेश सब्सिडी योजना: इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने शुरू किया है।

भारत का बागवानी क्षेत्र एक नजर में

- बागवानी क्षेत्र देश की कृषि GDP में लगभग 33% सकल मूल्य का योगदान देता है तथा 18% कृषि भूमि को कवर करता है।
- बागवानी क्षेत्र कृषि निर्यात में सालाना 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है।
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, भारत विश्व में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख किया

मंत्रालय के अनुसार, इथेनॉल सम्मिश्रण की दर 2013-14 की 1.53% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 14.60% हो गई है।

इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के बारे में

- उद्देश्य: इस कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- लक्ष्य: 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रित करना। यह लक्ष्य अर्जित करने की समय-सीमा पहले 2030 निर्धारित की गई थी, जिसे बदलकर 2025-26 किया गया है।
- EBP कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने वाली पहलें
 - राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018) लागू की गई है।
 - समर्पित इथेनॉल संयंत्रों (DEPs) की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएं (EISS) चलाई जा रही हैं।
 - EBP कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर GST को 18% से घटाकर 5% किया गया है।
 - एक बार फिर से प्रशासित मूल्य तंत्र की शुरुआत की गई है।
 - देश भर में इथेनॉल की सुचारू आवाजाही के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन किया गया है।

इथेनॉल सम्मिश्रण के प्रमुख लाभ

- विदेशी मुद्रा की बचत: 2014 से अब तक, 18.5 मिलियन टन कच्चे तेल को इथेनॉल से बदला गया है। इसके साथ ही, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होने के कारण 1.08 ट्रिलियन रुपये की बचत हुई है।
- पर्यावरणीय संधारणीयता: इथेनॉल सम्मिश्रण से अब तक कार्बन उत्सर्जन में 55.7 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आई है।
- चीनी उद्योगों के प्रमुख मुद्दों का समाधान: इथेनॉल उत्पादन ने चीनी कारखानों को अपने अधिशेष चीनी स्टॉक को कम करने और गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए शीघ्र राजस्व उत्पन्न करने में मदद की है।

इथेनॉल क्या है?

- इथेनॉल (C₂H₅OH) एक निर्जल (Anhydrous) एथिल अल्कोहल है। यह गन्ना, मक्का, गेहूँ और उच्च स्टार्च सामग्री वाली अन्य फसलों से तैयार किया जाता है। इथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन भी है।
- इसे अलग-अलग सम्मिश्रण बनाने, उत्सर्जन कम करने और इंजन की दक्षता में सुधार के लिए पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए-
 - E20: पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल का सम्मिश्रण; तथा
 - E100: 5 प्रतिशत पेट्रोल और 1.5 प्रतिशत सह-विलायक के साथ सम्मिश्रित 93-93.5 प्रतिशत इथेनॉल।
 - फ्लेक्स-प्यूल व्हीकल्स (FFVs) को E100 तक इथेनॉल के अलग-अलग सम्मिश्रणों पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

अन्य सूखियां



संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (U.N. Peacebuilding Commission)

भारत को 2025-2026 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से चुना गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में

- स्थापना: इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यह एक अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय है।
 - यह संघर्ष से प्रभावित देशों में शांति बहाली प्रयासों में मदद करता है।
- संरचना: 31 सदस्य देश। ये देश संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे अधिक वित्तीय योगदान देने वाले देश और सैन्य बल के रूप में योगदान देने वाले देश भी इसके सदस्य हैं।
- कार्य और भूमिका:
 - संसाधन जुटाने के लिए सभी हितधारक भागीदारों को एक साथ लाना;
 - संघर्ष के बाद शांति बहाली के लिए रणनीतियों पर सलाह देना और
 - समुदायों को संघर्ष से उबरने में मदद करना।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में बर्दीधारी कर्मियों में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश है।
 - भारत के 6,000 से अधिक कर्मी वर्तमान में दुनिया भर के शांति बहाली मिशनों में तैनात हैं।



सूचित करने योग्य बीमारी (Notifiable disease)

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सर्पदंश (Snakebite) के मामलों और इससे होने वाली मौतों को 'सूचित करने योग्य बीमारी' के रूप में नामित किया है।

- इससे पहले, मंत्रालय ने सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE) जारी की थी। इसका उद्देश्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और दिव्यांगता के मामलों को आधा करना है।

सूचित करने योग्य बीमारियां क्या हैं?

- कानून के तहत ऐसी बीमारियों के किसी भी नए मामले के बारे में सरकारी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है।
 - किसी भी बीमारी को अधिसूचित घोषित करने और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।
 - बीमारियों पर सूचना एकत्र होने से सरकारी एजेंसियों को बीमारी के प्रसार पर निगरानी रखने और संभावित प्रकोप की प्रारंभिक चेतावनी देने में मदद मिलती है।
- अन्य अधिसूचित बीमारियां हैं: एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, आदि।
- WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार, बीमारी के किसी नए मामले के बारे में WHO को रिपोर्ट करना आवश्यक है।
 - इससे बीमारियों के प्रसार पर वैश्विक निगरानी रखने और उस पर सलाह जारी करने में मदद मिलती है।



उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991

हाल ही में, उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 कुछ धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण पर अपील दायर करने के कारण चर्चा में था।

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के बारे में

- यह किसी भी उपासना स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाता है।
- यह 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने का प्रावधान करता है।
- अधिनियम से छूट:
 - ⊕ प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आने वाला कोई भी उपासना स्थल जिसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातात्विक स्थल या अवशेष कहा जाता है।
 - ⊕ पूर्ववर्ती अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद।



आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI)

आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024 में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

‘आठ कोर उद्योगों के सूचकांक’ के बारे में

- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के 8 कोर क्षेत्रों के अलग-अलग और सामूहिक प्रदर्शन को मापता है।
 - ⊕ ये 8 क्षेत्रक या उद्योग हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत।
- ये आठ कोर उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के 40.27% भारांश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) का आर्थिक सलाहकार का कार्यालय प्रति माह आठ कोर उद्योगों का सूचकांक संकलित करता है और जारी करता है।



नियम 267

राज्य सभा सभापति ने नियम 267 के बार-बार इस्तेमाल पर चिंता प्रकट की।

नियम 267 के बारे में

- नियम 267 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है। सभापति की मंजूरी के साथ यह नियम राज्य सभा में किसी आवश्यक और तत्काल विषय पर चर्चा करने के लिए दिन के निर्धारित एजेंडे पर नियमों को निलंबित करने की अनुमति देता है।
- इस नियम के तहत, राज्य सभा के सदस्य सभी सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित करने और देश के सामने आने वाले महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक लिखित नोटिस दे सकते हैं।



एक्सओम मिशन 4 (AX-4)

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के आगामी एक्सओम-4 मिशन के लिए चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है।

एक्सओम मिशन 4 (AX-4)

- Ax-4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है।
 - ⊕ यह मिशन स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। यात्री ISS तक पहुंचने के लिए रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किए जाने वाले ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करेंगे।
- एक्सओम मिशन को नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सओम स्पेस द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित किया गया है।
 - ⊕ Ax-1 पहला पूर्ण-निजी मिशन था, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था।



रामप्पा मंदिर

केंद्र ने SANSI योजना के तहत रामप्पा सर्किट के विकास के लिए ऋण को मंजूरी प्रदान की।

रामप्पा मंदिर के बारे में

- इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह तेलंगाना में अवस्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- प्राचीन से घिरे इस मंदिर में मुख्य मंदिर भगवान शिव का है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ई. में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उसके सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। काकतीय काल 1123-1323 ईस्वी तक रहा था।
- मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसमें अलंकृत घेनाइट और डॉलराइट के बीम एवं स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है।
- इसमें हल्की छत संरचनाओं के लिए हल्की झरझरा ईंटों (तथाकथित ‘तेरने वाली ईंटों’) से बना एक अद्भुत और पिरामिडनुमा विमान (क्षितिज सीढ़ीदार बुर्ज) है।
- काकतीय शासकों ने वेसर स्थापत्य कला की चालुक्य शैली को अपनाया था।



कास्केस घोषणा-पत्र (Cascais Declaration)

संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन (UNAOC) के 10वें वैश्विक मंच ने पुर्तगाल में कास्केस घोषणा-पत्र को अपनाया।

UNAOC के बारे में

- UNAOC की स्थापना 2005 में हुई थी। यह संघर्ष की रोकथाम और संघर्ष समाधान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सॉफ्ट-पावर राजनीतिक साधन के रूप में कार्य करता है।
- उद्देश्य: सहिष्णुता और शांतिपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांतों को बढ़ावा देना तथा संस्कृतियों के बीच संपर्क सेतु का निर्माण करना।

घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- अलग संस्कृतियों और धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के साधन के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को स्वीकार किया गया।
 - ⊕ उदाहरण के लिए, भ्रामक सूचना, हेट स्पीच आदि से निपटने में।
- संवाद, शांति बहाली और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं परिवर्तनकारी शिक्षा की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया गया।

सुर्खियों में रहे स्थल



बोस्निया और हर्जेगोविना (राजधानी: साराजेवो)

भारत-बोस्निया और हर्जेगोविना ने साराजेवो में चौथा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया।

भौगोलिक अवस्थिति

- अवस्थिति: यह यूरोप के पश्चिमी बाल्कन प्रायद्वीप में अवस्थित है।
- सीमावर्ती राष्ट्र: इसकी सीमाएं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्रोएशिया से; पूर्व में सर्बिया से; तथा दक्षिण-पूर्व में मोन्टेनेग्रो से लगती है।
- समुद्री सीमा: दक्षिण-पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से लगती है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- जलवायु: समशीतोष्ण महाद्वीपीय, अल्पाइन तथा भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है।
- सबसे ऊंची चोटी: मैग्लिक पर्वत।
- प्रमुख पर्वत श्रृंखला: डायनेरिक आल्प्स।
- प्रमुख नदियां: सावा, नेरेटवा आदि।

